न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

सीताराम महतो वगैरह   बनाम   सुकर महतो वगैरह

वाद संख्या – 131/2023

धारा – 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
16.10.23	**आदेश** आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के सीताराम महतो पिता स्व0 डेगन महतो एवं अन्य के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि केवाला से हासिल है। जिसपर द्वितीय पक्ष के द्वारा बल पूर्वक जोत–अबाद किया जा रहा है जिसको लेकर विवाद है। वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है मौजा – घाघरा, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह के अन्तर्गत, खाता नं0 – 64, प्लॉट नं0 – 2402, रकबा – 50 डी0 मध्ये 20 डी0 चौहदी उ0 – बुधन राय, दं0 – परती जंगल, पू0 – सीमाना हेसला, पं0 – विशुन महतो। द्वितीय पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भुमि पर बलपूर्वक हडपने की नियत से जोत – अबाद कर रहे हैं। इस कारण से काफी विवाद हो रहा है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि केवाला संख्या – 1862 दिनांक 19/02/1994 एवं केवाला संख्या – 1861 दिनांक 19/02/1994 से हासिल है जिसकी जमाबंदी मांग पंजी – II भाग संख्या – 4 पेज नं0 – 10 से शांति देवी एवं मांग पंजी – II पेज संख्या – 9 भाग संख्या – 4 से सरस्वती देवी के नाम पर जमाबंदी कायम है तथा उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष जोत–अबाद एवं खेती बारी करते चले आ रहें हैं एवं दखलकार हैं। आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में केवाला संख्या – 1861 दिनांक 19/02/1994 एवं केवाला संख्या – 1862 दिनांक 19/02/1994, ऑफलाईन सरकारी मालगुजारी रसीद एवं ऑनलाईन पंजी II कि छायाप्रति दाखिल किया गया है।	

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल कर बताया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष को बिहार भुदान यज्ञ कमिटी से इनके पूर्वज चुरामन महतो पिता रुपन महतो के नामत पर 26/12/1958 को हासिल है जिसकी जमाबंदी मांग पंजी *II* भाग संख्या – 3 पेज नं0 – 59 में दर्ज है एवं दुसरा पार्ट जमीन हुकुमनामा से हासिल है। जिसपर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा कि छायाप्रति, खालसा रसीद कि छायाप्रति बिहार भुदान – यज्ञ कमिटी के पट्टे कि छायाप्रति ऑनलाईन एवं ऑफलाईन सरकारी मालगुजारी रसीद कि छायाप्रति दाखिल किया गया है।

अंचल अधिकारी बगोदर के पत्रांक संख्या – 751 दिनांक 19/08/2023 के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा एवं दस्तावेज का अवलोकन किया अवलोकन के पश्चात प्रतीत होता है कि उक्त वाद हक हकियत को लेकर लाया गया है। जिसका निपटारा इस न्यायालय में नही किया जा सकता है।

अतः उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि अपने दखल पोजिशन लेने हेतु सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर करें। साथ ही इसका उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस वाद में पारित आदेश जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई थोगडिया [*Appeal (Crl.)401 of* 2004] कहा है कि "*……. more preventive in nature and not punitive in their effect and consequences*". अतः किसी के पक्ष में आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.10.18 15:56:56 +05:30
Location: 192.168.1.10